न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 05/2016

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1. श्री पूनमसिंह पिता श्री वजा सिंह रावत निवासी कोट सोलकियान तहसील देसूरी जिला पाली (राज0) 2. श्री माना पिता माला जी रावत निवासी कोट सोलकियान तहसील देसूरी जिला पाली (राज0) 3. श्रीमती मोतीबाई पिता माला जी रावत पत्नी हीरासिंह रावत निवासी गवार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द ..... अपीलान्ट **बनाम** 1. श्री देवीसिंह पिता गुलाबसिंह जी रावत निवासी कोलियों की भागल गवार, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द 2. श्री प्रेमसिंह पिता गुलाबसिंह जी रावत निवासी कोलियों की भागल गवार, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द 3. श्री केसरसिंह पिता भूरसिंह जी रावत निवासी कोलियों की भागल गवार, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द 4. श्री सरूपसिंह पिता भूरसिंह जी रावत निवासी कोलियों की भागल गवार, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द 5. श्रीमती शशि बाई पिता भूरसिंह जी रावत निवासी कोलियों की भागल गवार, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द 6. श्रीमती मांगीबाई पिता भूरसिंह रावत जी निवासी कोलियों की भागल गवार, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द 7. श्रीमती वगतावर बाई पिता भूरसिंह जी रावत निवासी कोलियों की भागल गवार, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द 8. श्रीमती तुलसीबाई पिता गुलाबसिंह जी रावत निवासी कोलियों की भागल गवार, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द 9. श्रीमती मोतीबाई पिता गुलाबसिंह जी रावत निवासी कोलियों की भागल गवार, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द 10. श्रीमती कसु बाई पत्नी गुलाबसिंह जी रावत निवासी कोलियों की भागल गवार, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द 11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुम्भलगढ जिला राजसमन्द .....रेस्पोन्डेन्ट्स अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कुम्भलगढ दि.27–5–2015 प्रकरण सं. 38/2015 राजस्व वाद ———— **निर्णय**	
21–5–2018	वकील उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार के वारिसान की जांच किये बिना तथा उन्हें (अपीलान्ट को) सुने बिना प्रकरण में आनन–फानन में निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट स्वयं को मृतक खातेदार का	

द्वितीय श्रैणी का वारिस बताते है। अतएव उन्हें आवश्यक, हितबद्ध व व्यथित पक्षकार मानकर उनके दफा–96 जाब्ता दीवानी के आवेदन को स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के समय एक ही दिन में सारी कार्यवाही कर दिये जाने व अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की कोई जानकारी पूर्व से होने की साक्ष्य नहीं होने से मयाद कण्डोन किये जाने का आवेदन अखण्डित शपथ पत्र व न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार को ला–औलाद होने के तथ्यों पर बिना जांच वादपत्र प्रस्तुत होने पर उसी दिन अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सुने बिना तथा अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा खातेदारी घोषणा किये जा सकने के विधिक बिन्दू पर विचार किये बिना, प्रमाण की तथ्यात्मक जांच किये बिना एवं सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुने बिना जो निर्णय पारित किया है, वह निसन्देह तथ्यात्मक व विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–5–2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखकर सभी पक्षकारों को सुनकर प्रकरण में विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–7–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21–05–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

21–5–2016		

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपुा स्कूल के सामने तहसील गिर्वि जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0)
अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84 / 2012 बनाराजगी डिगरी अदालत ..... सहायक कलक्टर मु0..... ..... उदयपुर ..... मुकाम मुर्क्खे.....27..... माह .....02..... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... 15..... माह .....06..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....15..... माह ...06..... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री गांगा पिता देवा डांगी निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य –2	**बनाम**	श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य–6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत .....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी .....उदयपुर ..... मुकाम मुक्र्खे.....08..... माह .....07..... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... 25..... माह .....05..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि ..... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....14..... माह ...06..... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील ..... 6. स्टाम्प वकालत नामा..... 7. इजराय हुक्मनामा ..... 8. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।